

फर्द अहकाम

लय उपखण्ड, बाघेबाड़ी सांगर जिल्ला
सीता राम वर्मा बनाम ग्रामलाहरी

मा संख्या/वर्ष : 571/2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27.7.21	<p>प्रार्थी की ओर से प्रार्थनागत अन्तर्गत नारा 212 गरी है श्री नरेश साहू से द्वारा प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट सार लि हो चुकी है इस शक के अग्रार्थी गणों की तहदी होकर प्रतावली दिनांक 6-9-21 को पेश हो।</p>	
6-9-21	<p>प्रतावली पेश हुई P.O. सा. बुलंद, बिन्दु कायम करत है। चुनाव/अन्य कार्य से होने वाले सुन है। अतः पूर्व आदेशानुसार प्रतावली दिनांक 25/10-21 को पेश हो।</p>	
1.11.21	<p>प्रतावली " प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021" के तहत कैंप बाघेबाड़ी पर पेश हुई। वादीगण/प्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित हैं। प्रतावली का निस्तारण प्रार्थी सहमति व राजीनामों से संभव नहीं होने से प्रतावली पूर्ण आदेशानुसार दिनांक 7.1.22 को पेश हो।</p>	
0.7.01.22	<p>प्रतावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित अग्रार्थी के बाट तामील Notice ग्राफ नहीं हुए है। पुनः रजि. AD से तामील करार जावे तलना नोटिस 7 दिन में पेश कर प्रतावली वास्तु तलवी दिनांक 29-3-22 को पेश हो।</p>	
23-3-22	<p>प्रतावली पेश हुई P.O. सा. दीरे पर पधरे हुए है। अतः पूर्व आदेशानुसार प्रतावली दि. 7-6-22 को पेश हो।</p>	
7-6-22	<p>प्रतावली पेश हुई। वकील वादी/प्रार्थी उप है। वकील पक्षकारान उप है। पूर्व आदेशानुसार प्रतावली दिनांक 16-8-22 को पेश</p>	
16/8/22	<p>प्रतावली पेश हुई। वकील वादी/प्रार्थी उप है। वकील पक्षकारान उप है। पूर्व आदेशानुसार प्रतावली दिनांक 11.10.22 को पेश</p>	

मुकदमा संख्या/वर्ष

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	11/10/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्राणी उप है। वकील पक्षाकारण उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 8/12/22 को पेश</p> <p>श्रीमान जिला कलक्टर गढ़ो, जयपुर के आदेशानुसार मूल पत्रावली वच सुनिम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोयनेर को प्रेषित की / जानी है।</p>
	8.12.22	<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. राजकीय कार्यवश दौरे पर पधारें हुए हैं। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 20/12/22 को पेश हो</p>
	20-223	<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. राजकीय कार्यवश दौरे पर पधारें हुए हैं। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 21/12/22 को पेश हो</p>
	31/3/23	<p>पत्रावली पेश हुई। सरदार पेंरीवाल उप, जयपी एवं उनको अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण बाद भांडेरा 9 नियम 3 में सी.पी.सी. के खारिज किया जा चुका है।</p> <p>अतः जयपी का धारणा पत्र जयपी व उनको अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण भांडेरा 9 नियम 3 सी.पी.सी. के तहत खारिज किया जा रहा है।</p> <p>पत्रावली के मूल मुकदमा दोषट नम्बर से मूल दोषट क्रमिक पत्रावली</p>

[Handwritten signature]

दिनांक 31/3/23